

उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 1048/3-3(5)/2021-22

दिनांक, 15 फरवरी, 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :- वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ:- आपका पत्रांक 2117/12-1(57) दिनांक 17/01/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2021-22 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत वन पंचायत वृक्षारोपण मद में टंगसा वन पंचायत में 10 हे० वृक्षारोपण हेतु रू० 4.61 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

कृपया अवमुक्त की गई धनराशि का निर्धारित मानकों के अनुसार उपयोग करते हुए इसकी वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की MIS में पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तदनुसार उपरोक्तानुसार अवमुक्त की गई धनराशि के व्यय के संबंध में निम्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

नियम एवं शर्त:-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम-2016' के अंतर्गत निर्गत 'प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली - 2016' में उल्लिखित प्राविधानों एवं अनुमन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु ही अवमुक्त धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रभाग की स्वीकृत कार्ययोजना/प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्ययोजना के उपरोक्त स्वीकृत मदों में ही किया जाय एवं उच्च स्तरों से समय-समय पर प्राप्त अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में प्रतिबंधित मदों/गतिविधियों में कदापि न किया जाय। संबंधित मद में अवमुक्त धनराशि से विचलन एवं क्रियान्वयन में भिन्नता की स्थिति में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
3. प्रभागीय वनाधिकारी के नियंत्रक अधिकारी वन संरक्षक व मुख्य वन संरक्षक नियमित रूप से संपादित कार्यों का नियमानुसार स्थलीय निरीक्षक सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अधीनस्थ वन प्रभागों के क्रियान्वयन में भिन्नता अथवा विचलन की स्थिति में नियंत्रक अधिकारी का भी उत्तरदायित्व होगा।
4. भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति अनिवार्य रूप से अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष ही प्राप्त की जाय। बजट की प्रत्याशा में कोई कार्य न संपादित कराये जायें। धनराशि की प्रत्याशा में कराये गये कार्यों हेतु संबंधित क्रियान्वयन अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. जिन कार्यों के संपादन हेतु डी०पी०आर अपेक्षित है उक्त हेतु डी०पी०आर तैयार कर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जाय। स्वीकृत डी०पी०आर की एक प्रति इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाई जाए।
6. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 तथा अन्य वित्तीय नियमों का पालन किया जाय।
7. प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने एवं निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए सामग्रियों व कार्यों की मात्रा को छोटे-छोटे टुकड़ों में न बांटा जाए।
8. कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जाए। बजट की प्रत्याशा एवं बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई कार्य सम्पन्न न कराया जाए।
9. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण करा लिया जाए एवं व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, में पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।
10. कैम्पा योजना के अन्तर्गत सम्पादित कराये जाने वाले समस्त कार्यों हेतु मानक दर के अनुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।
11. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

